न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 349–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–1–2013 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 3/11–12/स्वमेव निगरानी.

मोहन सिंह पुत्र श्री लाल
निवासी ग्राम वरौआ नूराबाद तहसील
व जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री एन0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 14–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा दिनांक 26–6–2009 को कलेक्टर को इस आशय का पत्र भेजा गया कि ग्राम बरौआ नूराबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 155/1 वर्ष 1988 से 2003 तक शासकीय होकर चरनोई मद में दर्ज थी । उक्त भूमि को तत्कालीन अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/02–03/अ–6 अ में दिनांक 1–4–2003 को आदेश पारित कर सर्वे कमांक 155/1 रकबा 1.818 हेक्टेयर भूमि का इन्द्राज दुरूस्ती के तहत आवेदक मोहन सिंह के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व घोषित किया गया है और पटवारी द्वारा अमल भी कर दिया गया है । जांच में यह पाया गया है कि प्रकरण मद अ–6–अ में दर्ज न होकर अ–11 मद (सीमाकंन)

में दर्ज किया गया है, अतः प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाये । अपर कलेक्टर द्वारा यह पाते हुये कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण गलत मद में दर्ज किया गया है, विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है, प्रश्नाधीन भूमियों के मेढ़िया कृषकों के कथन नहीं लिये गये है, अन्य साक्षियों के साक्ष्य अभिलेख के आधार पर विश्वसनीय नहीं है, तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 3/02–03/अ6अ में पारित आदेश दिनांक 1–4–2003 को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 03/11–12 स्वमेव निगरानी में दिनांक 14–1–2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 1–4–2003 निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को वापस किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि जिसकों संवत 2044 तक भूमिस्वामी स्वत्व की होना बताया है तब पटवारी द्वारा किस आदेश से भूमिस्वामी का नाम हटाते हुये शासकीय दर्ज किया गया । तत्समय के भूमिस्वामी के वैध वारिसानों एवं अनावेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये गुणदोष पर न्यायोचित आदेश पारित किया जाये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) भूमि सर्वे कमांक 155/1 पर बंदोबस्त अर्थात संवत 1992 तथा 1997 से निरन्तर प्रार्थी के पूर्वजो का नाम बतौर भू–स्वामी शासकीय अभिलेख में दर्ज रहा, जो इन्द्राज संवत 2044 तक यथावत बना रहा । संवत 2045 में पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के उक्त भूमि को चरनोई अंकित कर खाते नंबर 12 में आवेदक का अधिपत्य अंकित किया गया है । पटवारी द्वारा की गई उक्त प्रविष्टि बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से की गई थी ऐसी सूरत में उक्त प्रविष्टि की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अपर तहसीलदार ग्वालियर के न्यायालय में उक्त प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण में पुराने अभिलेख में यह पाया कि पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राज में फेरबदल किया गया है, क्योंकि उक्त भूमि बंदोबस्त से पूर्व ही भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज चली आ रही थी, जिसे पटवारी को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं था । इस कारण अपर तहसीलदार द्वारा

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि संवत 2045 से यह भूमि चरनोई दर्ज है, वास्तविकता यह है कि अनुविभागीय अधिकारी को बंदोबस्त संवत 1992 एवं 1997 से संवत 2044 तक का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में करना चाहिये था तथा यह बताना चाहिये था कि संवत 2044 तक उक्त भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित थी, जिसे पटवारी द्वारा स्वतः संवत 2045 चरनोई अंकित कर दिया गया है । यदि इस प्रकार का जांच प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में आया होता तो प्रकरण में उत्पन्न भ्रांती स्वतः ही समाप्त हो जाती ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1988 लगायत वर्ष 2003 तक राजस्व अभिलेख में शासकीय चरनोई दर्ज रही है । तहसीलदार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर लगभग 14 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही प्रविष्टि को संहिता की धारा 115 116 के अंतर्गत आदेश पारित कर दुरूस्त किया गया है । इस संबंध में कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत संहिता की धारा 114 के अधीन तैयार अभिलेख को ही दुरूस्त किया जा सकता है और संहिता की धारा 116 के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रविष्टी दुरूस्त की जा सकती है । अतः तहसीलदार द्वारा लगभग 14 वर्ष पूर्व की गई प्रविष्टी को संहिता की धारा 115/116 के अंतर्गत दुरूस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । तहसीलदार द्वारा जारी इश्तहार में प्रकाशन की तिथि अंकित नहीं है कि इश्तहार प्रकाशन किस दिनांक को किया गया । स्पष्टतः तहसीलदार द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता नहीं की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार विचारणीय नहीं है कि पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर शासकीय चरनोई भूमि अंकित की गई है जिसे संशोधन करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की

कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । क्योंकि अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को प्रकरण इसी निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि इस बिन्दु की जांच की जाये कि पटवारी द्वारा किस आदेश से भूमिस्वामी का नाम हटाते हुये भूमि शासकीय चरनोई होने संबधी प्रविष्टी की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि आवेदक के ताऊ कुंअरपाल का संवत 2044 में प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज था, अतः कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है कि संवत 2044 में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज नही थी । क्योंकि स्वंय आवेदक द्वारा यह स्वीकार किया जा रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि कुंअरपाल के नाम दर्ज थी, जो कि उनके ताऊ थे । इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि तत्समय के भूमिस्वामी के वैध वारिसानों को सुनवाई का अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर न्यायोचित आदेश पारित किया जाये, अतः यदि आवेदक वर्ष संवत 2044 में दर्ज भूमिस्वामी कुंअरपाल का विधिक वारिस है तब उन्हैं तहसील न्यायालय में पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह प्रश्नाधीन भूमि को उसके स्वत्व की भूमि सिद्ध कर सकते है । चूँकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में गुणदोष पर आदेश पारित किया जाना है जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उल्लिखित न्याय दृष्टांत विचारणीय नहीं रह जाते है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14--1--2013 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर